



कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र -I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

163

सं०.एल०ए०/एस०एस०-1/श०स्था०नि०/

दिनांक-

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, बरबीघा
जिला- शेखपुरा



महाशय,

नगर पंचायत, बरबीघा के वर्ष 2013-14 से 15-16 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं० 302/16-17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

- 80 -

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श०स्था०नि०/सामाजिक प्रक्षेत्र-1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना



सं०-एल०ए०/एस.एस.-1/श०स्था०नि०/14625/357

दिनांक- 13/12/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, शेखपुरा

जनकीर दत्त 13/12/16

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श०स्था०नि०/सामाजिक प्रक्षेत्र-1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

18502
16-12-16

अवर सचिव
5-0-7
19-12-16

3-0-7
19-12-16

श्री/जनकीर

सिमा
20/12/16

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.- 302/16-17

भाग - I

प्रस्तावना

1. निरीक्षित कार्यालय का नाम :- नगर पंचायत बरबीघा
2. लेखा की अवधि :- 2013-2014 से 2015-16 तक
3. लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र :- अंकेक्षण में प्रस्तुत व जाँच किए गए पंजी व अभिलेखों की सूची परिशिष्ट-I में एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची परिशिष्ट-II पर दी गई है।
4. लेखापरीक्षा की अवधि :- 01.06.16 से 07.06.16 तक
5. प्रशासन :-

1) मुख्य पार्षद का नाम अवधि
श्री चमरू पासवान 01.04.13 से 31.03.16

2) उपमुख्य पार्षद का नाम अवधि
श्री रौशन कुमार 01.04.13 से 31.03.16

3) नगर कार्यपालक पदाधिकारी

क्रम संख्या	कार्यपालक पदाधिकारी का नाम	अवधि	
		कब से	कब तक
1	श्री सुधांशु शेखर	01.04.13	06.03.14
2	श्री विजय कुमार सिंह	06.03.14	27.09.14
3	श्री ज्ञान प्रकाश	27.09.14	23.07.15
4	श्री राघवेन्द्र कुमार शर्मा	23.07.15	09.09.15
5	श्री दिनेश कुमार सिन्हा	09.09.15	31.03.16

6 लेखापरीक्षा दल के सदस्य

1. श्री तनवीर हसन, व0 ले0 प0 अधिकारी
2. श्री सुबोध प्रसाद, स0 ले0 प0 अधिकारी
3. श्री आलोक कुमार, स0 ले0 प0 अधिकारी
4. श्री मनीष कुमार-II, ले0 परीक्षक

7 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन का अनुपालन:- अप्रस्तुत

8. कार्यपालक से वार्तालाप की गई :- हाँ

9. लेखापरीक्षा का परिणाम:-

अंकेक्षण के दौरान वसूली गई राशि :- शून्य

वसूली हेतु सुझाई गई राशि:- 3716311

आपत्ति के अधीन रखी गई राशि:- 10308128

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट- III पर)

10 बजट

अवास्तविक बजट

नगर पंचायत के बजट में प्रावधनित आय- व्यय एवं वास्तविक आय- व्यय की तुलना में पाया गया कि दोनों के बीच बड़ा अन्तर था जिसका विवरण निम्नवत है:-

(16)

आय मद

वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16
बजट के अनुसार आय	116045527	22106014	47685108
वास्तविक आय	50984221	40222907	73446678
अंतर प्रतिशत में	56.07	181.95	154.02

व्यय मद

वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16
बजट के अनुसार व्यय	179973000	162119991	167196296
वास्तविक व्यय	46964526	61106983	46005871
अंतर प्रतिशत में	73.90	62.31	72.48

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि वास्तविक आय- व्यय या तो बजट से बहुत अधिक थे या तो बहुत कम थे।

पुनः बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत बजट को तैयार कर सरकार को 31 मार्च के पहले भेजना था किन्तु नगर पंचायत द्वारा सरकार को बजट का प्रेषण नहीं किया गया।
कार्यालय का जवाब:- भविष्य में बजट को वास्तविकता के अनुरूप बनाया जाएगा। जानकारी के अभाव में सरकारको बजट का प्रेषण नहीं किया गया था। इस वर्ष से बजट सरकार को भेजा जा रहा है।

अतः बजट को वास्तविकता के अनुरूप बनाया जाय एवं इसे सरकार को प्रेषित किया जाय।

11. अनुदान

नगर पंचायत द्वारा अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था। फलस्वरूप लेखापरीक्षा अवधि के प्रारंभ में अव्यवहृत अनुदानों की राशि, अनुदान की प्राप्ति, उपयोग तथा लेखापरीक्षा अवधि के अंत में अव्यवहृत अनुदान की राशि की स्थिति ज्ञात नहीं हो सकी। यद्यपि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान विभिन्न रोकड़ बही के अनुसार विभिन्न मदों के अंतर्गत 102485930.00 रु अनुदान प्राप्त हुआ था। आपत्ति के जवाब में नगर पंचायत द्वारा कहा गया कि कर्मचारियों के कमी के कारण अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया जा सका है। इसका संधारण शीघ्र कर लिया जाएगा।

(विवरणी परिशिष्ट- IV पर संलग्न)

अतः अनुदान पंजी का संधारण कराया जाय एवं अनुदान की उपयोगिता की स्थिति से अगले लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाय तथा अव्यवहृत अनुदान का यथाशीघ्र उपयोग किया जाय।

12. वित्तीय अधिदृश्य:-

कार्यालय द्वारा संधारित विभिन्न रोकड़ बहियों के अनुसार वित्तीय वर्षों 2013-14 से 2015-16 की अवधि में आय व व्यय की स्थिति निम्न थी:-

1. लेखापाल रोकड बही

	2013-14	2014-15	2015-16
प्रारंभिक शेष	150031090.75	152537546.75	134831438.35
प्राप्तियाँ:-			
1 स्वयं का स्रोत	8165269	9670615	5270671
2 अनुदान	26239690.00	22395690.00	53850550
3 ब्याज	4065664.00	3745654	2781222
वर्ष की प्राप्ति (1+2+3)	38470623.00	35811959.00	61902443.00
कुल प्राप्ति	188501713.75	188349505.75	196733881.35
वर्ष का कुल व्यय	35964167.00	53518067.40	37362661.80
अंतशेष	152537546.75	134831438.35	159371219.55

लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ:-

1. रोकड बही व पासबुक की अंतर की राशि 116749.18 रु (159371219.55- 159254470.37) था, अर्थात् बैंक में राशि रोकड बही से कम है।
2. एक ही रोकडबही में कई मदों यथा योजनाएँ, स्वयं स्रोत, अन्य मद आदि से प्राप्त आय का लेखांकन किया गया था, तथा विभिन्न योजनाओं/गैर योजनाओं मद में व्यय किया गया था।
3. सहायक रोकडबही संधारित नहीं किया गया था।
4. माह व वर्ष के अंत में प्राप्ति एवं व्यय का सार तैयार नहीं किया गया था।
5. रोकडबही के व्यय पक्ष में व्यय का शीर्ष दर्ज नहीं किया गया था, जिससे यह पता करना मुश्किल था कि किस मद में कितनी राशि व्यय की गई एवं कितनी राशि अव्यवहृत पड़ी थी तथा प्राप्त राशि जिस मद एवं जिस उद्देश्य के लिए अनुदान के रूप प्राप्त हुई थी उस उद्देश्य की पूर्ति हुई या नहीं ?

2. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का आय-व्यय:-

	2013-14	2014-15	2015-16
प्रारंभिक शेष	22817787	24410627	21360267.15
प्राप्तियाँ:-			
1 अनुदान	11254392	3186000	1737000
2 ब्याज	1088782	1071556	764177
वर्ष की प्राप्ति (1+2)	12343174	4257556	2501177
कुल प्राप्ति	35160961	28668183	23861444.15
योजना पर व्यय	10750334	7307200	8632927
अन्य	0	715.85	181.68
कुल व्यय	10750334	7307915.85	8633108.68
अंतशेष	24410627	21360267.15	15228335.47

3. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का आय-व्यय:-

	2013-14	2014-15	2015-16
प्रारंभिक शेष	4108588.58	4029007.58	3901399.58
प्राप्तियाँ:-			
1 अनुदान	0	0	0
2 ब्याज	170424.00	153392	384329
3 अन्य (तेरहवीं वित्त आयोग अनुदान की राशि)	-	-	8658729
वर्ष की प्राप्ति (1+2+3)	170424	153392	9043058
कुल प्राप्ति	4279012.58	4182399.58	12944457.58
योजना पर व्यय	250000	271000	0
अन्य	25	10000	10100
कुल व्यय	250025	281000	10100
अंतशेष	4029007.58	3901399.58	12934357.58

तेरहवीं वित्त आयोग की राशि 8658729.00 रु को तेरहवीं वित्त के खाता व रोकड़ बही में हस्तांतरित नहीं किया गया था।

नगर पंचायत द्वारा जवाब में कहा गया कि कोषागार द्वारा गलत प्रविष्टि करने के कारण अन्तशेष में अंतर आ रहा है। इस संबंध में कोषागार से पत्राचार किया गया है।

कर्मचारियों की कमी के कारण सभी मदों की सहायक रोकड़ पंजी संधारित नहीं की गई है। इसे शीघ्र संधारित कर ली जाएगी। माह के अन्त में प्राप्ति एवं व्यय का सार तैयार किया गया है। वर्षवार विवरणी भविष्य में बनायी जाएगी। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाए।

दावा अस्वीकरण प्रमाण-पत्र

DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग-II(क)- शून्य

भाग-II(ख)

कण्डिका:- 1 वसूली गई राशि जमा नहीं, 65902.00 रु

नगर पंचायत, बरबीघा द्वारा उपलब्ध कराये गये गृह रसीद व विविध रसीद के जाँच में पाया गया कि रसीद के माध्यम से होल्डिंग, दुकान किराया, सैरात, बस स्टैंड आदि से वसूली गई राशि रु0-85691.00 के विरुद्ध वसूलीकर्त्ताओं के द्वारा 19789.00 रु जमा किया गया एवं 65902.00 रु कम जमा किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	रसीद सं०	कुल राशि	दिनांक	जमा राशि	नहीं जमा राशि	वसूलीकर्त्ता
1	801-900(एच)	19897	01.08.13 से 06.03.13	19789	108	कृष्णानंदन खॉ
2	187(एम आर)	1000	03.09.13	0.00	1000	कार्यानन्द शर्मा
3	400(एम आर)	500	19.03.15	0.00	500	रामस्वर्ण प्र० सिंह
4	470(एम आर)	600	29.03.14	0.00	600	रामस्वर्ण प्र० सिंह
5	500(एम आर)	500	17.05.14	0.00	500	रामस्वर्ण प्र० सिंह
6	201-300(एम आर)	33194	10.03.16	0.00	33194	धर्मेन्द्र कु० धीरज
7	136-165(एम आर)	30000	10.03.16 से 30.05.16	0.00	30000	धर्मेन्द्र कु० धीरज
		85691			65902	

आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा संबंधित व्यक्तियों से राशि जमा करा दिया गया। विवरण निम्नवत है।

रसीद सं०	दिनांक	राशि
786	06.06.16	33194
787	07.06.16	108
788	07.06.16	1000
789	07.06.16	1600
-----	06.06.16	30000
		65902

वसूली की राशि को बैंक में जमा नहीं दिखाया गया था। अतः उक्त राशि को बैंक में जमा करने का साक्ष्य अनुपालन प्रतिवेदन के साथ इस कार्यालय को प्रेषित किया जाये।

कण्डिका:- 2 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण में व्यय, राशि 7.21 लाख रु

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक -02/स्वर्ण-06/08-1113 दिनांक 31.10.12 द्वारा नगर पंचायत बरबीघा को 30 लाख रु की राशि दिनांक 10.11.12 को प्राप्त हुई थी। योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार राशि का व्यय निम्न घटकों में करना था:-

क्रम सं०	मद का नाम	प्रतिशत	राशि
01	शहरी गरीबों के बीच रोजगार बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण (STEPUP)	40 प्रतिशत	1200000.00
02.	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (USEP)	20 प्रतिशत	600000.00
03.	शहरी महिलाओं एवं सहायता कार्यक्रम (UWSP)	20 प्रतिशत	600000.00
04.	शहरी समुदाय विकास नेटवर्क (UCDN)	10 प्रतिशत	300000.00
05	(UWEP)	10 प्रतिशत	300000.00
		कुल	3000000.00

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना (पत्रांक-927 दिनांक- 06.09.12) द्वारा निर्देश दिया गया था कि STEPUP के तहत प्रशिक्षण प्रारंभ करने तथा संस्थाओं के साथ एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने के पूर्व निम्नलिखित बिंदुओं पर संस्थाओं की जाँच कर ले क्योंकि समयभाव के कारण संस्थाओं के संबंध में कोई जाँच नहीं किया गया है:-

1. संस्था को प्रशिक्षण देने का अनुभव हो।
2. प्रशिक्षक को संबंधित व्यवसाय का 3 वर्ष का अनुभव।
3. संस्था को पर्याप्त क्लासरूम, प्रयोगशाला या अन्य आधारभूत सुविधा की उपलब्धता।
4. संस्थाओं को प्रशिक्षण के उपरांत लाभार्थियों को एक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
5. प्रशिक्षण स्थल पर कम से कम 1500 वर्ग फीट का स्थान, प्रतिदिन प्रशिक्षण की अवधि 4 घंटा, कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु कम से कम 10 सेट कम्प्यूटर।
6. संस्था को प्रशिक्षण के उपरांत कम से कम 30 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मुहैया कराने की क्षमता।
7. जो प्रशिक्षणार्थी स्वरोजगार के लिए इच्छुक है, उनके आवेदन को संस्था द्वारा बैंक में निकाय के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

साथ ही विभाग द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि प्रशिक्षण समाप्त होने पर पूर्णतः जाँच कर एवं पूर्णतः संतुष्ट होकर अनुमोदित दर के आधार पर ही नगरपालिका द्वारा संबंधित संस्था को राशि का भुगतान किया जाये।

कार्यालय को प्रशिक्षण हेतु कुल 103 अभ्यर्थियों द्वारा कम्प्यूटर में प्रशिक्षण हेतु आवेदन प्राप्त हुआ, जिन्हें संस्था सोसाइटी फॉर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, कंकड़बाग से प्रशिक्षण दिलाया गया और संस्था को कुल 721000.00 रु प्रशिक्षण हेतु भुगतान किया गया, विवरण निम्न है:-

संस्था को भुगतान का विवरण:-

चेक संख्या/तिथि	राशि	मद
617301 / 13.02.13	200000	प्रशिक्षण हेतु अग्रिम
617302 / 24.09.13	250000	
- / 03.09.14	271000	
कुल	721000	

प्रशिक्षणार्थियों की संख्या, संस्था का नाम व भुगतान का विवरण (प्रशिक्षण मद में):-

ट्रेड का नाम	प्रति प्रशिक्षणार्थी का निर्धारित व्यय (प्रशिक्षण की पूर्ण अवधि हेतु)	कार्यालय द्वारा तय की गई दर	कुल प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	संस्थाओं को भुगतान की जाने वाली राशि	संस्था को भुगतान की गई राशि (अग्रिम स्वरूप)	भुगतान हेतु लंबित राशि	मद
1	2	3	4	5 (3x4)	6	7	8
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	6000 से 7000	7000	103	721000	721000	0	प्रशिक्षण हेतु
				205794	0	205794	दूल व किट्स वितरण हेतु

लेखा परीक्षा आपत्तियाँ:-

संचिका के जॉच में निम्न अनियमितताएँ पाई गई:-

1. विभाग के दिशानिर्देशानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति के उपरांत ही तथा पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही संस्था को प्रशिक्षण की राशि का भुगतान किया जाना था, परंतु कार्यालय द्वारा इस दिशा निर्देश के विपरीत अनियमित रूप से संस्था को प्रथम, द्वितीय व तृतीय अग्रिम के रूप में क्रमशः 2.00, 2.50 व 2.71 लाख रु कुल 7.21 लाख रु का भुगतान कर दिया गया। पुनः संस्था द्वारा कोई विपत्र भी नहीं दिया गया तथा न ही कार्यालय द्वारा संस्था से इसकी मांग की गई, फलतः यह राशि 7.21 लाख रु आज तक अग्रिम के रूप में ही है।
2. संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरांत प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना था, जिसे उपलब्ध कराया गया या नहीं से संबंधित साक्ष्य संचिका में नहीं पाया गया।
3. इस योजना के लिए निकाय स्तर पर नगर प्रबंधक को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया था। जहाँ नगर प्रबंधक पदस्थापित नहीं है, वहाँ निकाय के नगर कार्यपालक पदाधिकारी को ही यह कार्य करना था एवं नोडल पदाधिकारी इस योजना के सम्पूर्ण कार्य के लिए जिम्मेवार थे तथा इनके द्वारा प्रत्येक स्तर पर कार्य की समीक्षा की जानी थी। परंतु कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार का कोई जॉच/कार्य का साक्ष्य संचिका में नहीं पाया गया। पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम की जॉच के लिए नगर पंचायत के किसी कर्मी को भी पर्यवेक्षण/जॉच का कार्य नहीं सौंपा गया।

- 1155
4. प्रशिक्षण के उपरांत न्यूनतम 30 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को संस्था द्वारा रोजगार मुहैया कराना था, परंतु एक भी प्रशिक्षणार्थी को रोजगार मुहैया नहीं कराया गया।
 5. जो प्रशिक्षणार्थी स्वरोजगार के लिए इच्छुक है, उनके आवेदन को संस्था द्वारा बैंक में निकाय के माध्यम से भेजा गया या नहीं से संबंधित कोई साक्ष्य संचिका में नहीं पाया गया।
 6. प्रशिक्षण प्रारंभ कराने से पूर्व संस्थाओं की जाँच विभाग द्वारा तय किये गये उपर्युक्त 11 बिंदुओं पर कराया जाना था, परंतु कार्यालय द्वारा इसकी जाँच किये जाने से संबंधित प्रतिवेदन/साक्ष्य/दस्तावेज नहीं पाया गया जिससे यह प्रमाणित हो सके कि ये संस्थाएँ विभाग के उपर्युक्त शर्तों को पूरा करती हों।
 7. अन्य चार घटक शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (USEP), शहरी महिलाओं एवं सहायता कार्यक्रम (UWSP), शहरी समुदाय विकास नेटवर्क (UCDN) एवं शहरी महिला रोजगार कार्यक्रम (UWEP) की योजनाएँ क्रियान्वित नहीं की गईं एवं इन घटकों की राशि 18.00 लाख रु अनुपयोगित व अवरोधित पड़ी हुई है।
 8. टूल व किट्स के विपत्र की राशि 205794.00 रु का भुगतान संस्था को किया जाना आज तक लंबित है।
 9. सरकार के दिशा निर्देशानुसार सक्षम युवक/युवतियों के आवेदन को कार्यालय द्वारा व्यवसायवार पंजी संधारित करना था, यदि किया गया हो तो इसे लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कराया जाय।
 10. संस्था द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया एवं किस तिथि को समाप्त हुआ, सं संबंधित कोई साक्ष्य/प्रतिवेदन संचिका में नहीं पाया गया।
 11. विभाग के पत्रांक-1916 दिनांक-08.08.14 द्वारा एक सप्ताह के अंदर इस योजना की अवशेष राशि को वापस करने का निदेश दिया गया, परंतु कार्यालय द्वारा विभाग को राशि वापस नहीं किया गया है। दिनांक 31.3.16 को इस योजना मद में राशि 4275628.00 रु (तेरहवीं वित्त आयोग की प्राप्त राशि 8658729.00 रु को छोड़कर) अवशेष है।

कार्यालय का जवाब:- संस्था को नोटिस देकर विपत्र की मांग की जाएगी। संस्था द्वारा कितने प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार दिलाया गया उसकी मांग की जाएगी।

जवाब मान्य नहीं है। संस्थाओं द्वारा न्यूनतम 30 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मुहैया नहीं कराया गया, जिससे प्रशिक्षण का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ, फलतः प्रशिक्षण में व्यय की गई राशि 7.21 लाख रु अब तक निष्फल है। पुनः संस्थाओं द्वारा अब तक प्रशिक्षण में व्यय राशि का विपत्र नहीं दिया गया है एवं इन्हें प्रदान की गई राशि 7.21 लाख रु अग्रिम के रूप में ही है, जिसका समायोजन किया जाना वांछित है। अतः इसकी जाँच कराई जाय, एवं आपत्तियों का निराकरण किये जाने तक व्यय राशि 721000.00 रु को आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

कण्डिका:-3 बन्दोबस्ती राशि की कम वसूली, राशि 9.90 लाख रु

प्राइवेट बस स्टैंड के वर्ष 2014-15 की बन्दोबस्ती में सफल डाकवक्ता श्री महेश प्रसाद सिंह के नाम से राशि 30.40 लाख रु में बन्दोबस्ती की गई, परंतु इनके द्वारा 20.50 लाख रु ही जमा किया गया। शेष राशि 9.90 लाख रु अब तक बन्दोबस्तीधारी द्वारा नहीं जमा किया गया है। विवरण निम्न है:-

विविध रसीद संख्या	तिथि	जमा की गई राशि
471	31.03.14	1200000
473	04.04.14	200000
477	11.04.15	150000
384	05.01.15	200000
708	01.04.15	300000
	कुल	2050000

यद्यपि कार्यालय द्वारा नोटिस दिया गया, परंतु बन्दोबस्तधारी द्वारा आज तक राशि जमा नहीं किया गया है।

कार्यालय का जवाब:- वसूली हेतु सर्टिफिकेट केस की कार्रवाई की जा रही है।

अतः राशि 990000.00 रु की वसूली कर लेखा परीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाये।

कण्डिका:- 04 कय में अनियमितताएँ:-

(क) आपूर्तिकर्ता से जमानत की राशि की कटौती नहीं

बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 (0) एवं (P) के अनुसार किसी भी आपूर्ति पर Performance Security के रूप में गारंटी अवधि तक कुल मूल्य के 05-10 प्रतिशत की राशि Security deposit के रूप में कार्यालय द्वारा रखी जाती है, ताकि भविष्य में कुछ गड़बड़ी या असहमति होने पर राशि को Forfeit की जा सके, परन्तु कय से संबंधित संचिकाओं के अवलोकन में यह पाया गया कि आपूर्तिकर्ताओं से कुछ कय में जमानत राशि की कटौती की गई एवं कुछ कय में राशि 225516.00 रु की कटौती से नहीं की गई थी।

(ख) भंडार पंजी में प्रविष्टि नहीं

सामग्रियों के कय के उपरांत सामग्रियों की प्रविष्टि भंडार पंजी में किया जाना है, परंतु कय किये गये सामग्रियों के पारित विपत्र पर भंडार पंजी में प्रविष्टि किये जाने की सूचना नहीं दर्ज की गई तथा न ही भंडार पंजी का संधारण किया गया।

(विवरण परिशिष्ट- V पर संलग्न)

कार्यालय का जवाब:-

1. भविष्य में जमानत की राशि की कटौती की जाएगी।
2. संबंधित आपूर्तिकर्ताओं से आयकर जमा करने से संबंधित साक्ष्य देने हेतु नोटिस दिया जाएगा।
3. स्टॉक पंजी में संधारण कर अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जाएगा।

जमानत की राशि की कटौती नहीं करने से सामग्रियों के रख-रखाव व खराब होने पर अतिरिक्त व्यय का वहन कराना पड़ेगा। अतः जमानत की राशि की कटौती की जाय। भंडार पंजी में सामग्री की प्रविष्टि किया जाय तथा अगले अंकेक्षण मे दिखलाया जाये। तब तक राशि 9587128 आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

कण्डिका:- 05 गृह कर माँग एवं वसूली की स्थिति

गृह कर माँग एवं वसूली पंजी का संधारण नगर पंचायत द्वारा नहीं किया गया था, फलस्वरूप गृह कर की माँग एवं वसूली की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी। उपलब्ध कराये गये विवरणी के अनुसार 2013-14 से 2015-16 तक माँग, वसूली व बकाया की स्थिति निम्नवत् थी:-

वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16
कुल माँग	871756	776517	965074
वसूली	451471	194108	439296
प्रतिशत वसुली	51.78	24.99	45.51
बकाया	420285	582409	525778

कार्यालय का जवाब:- कर्मियों की कमी के कारण वसूली संतोषप्रद नहीं हो पाई है। भविष्य में आय बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।

अतः वसूली का प्रतिशत बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाय।

कण्डिका:-06 शिक्षा उपकर व स्वास्थ्य उपकर की राशियों का प्रेषण नहीं, राशि 1.84 लाख रु बिहार प्राथमिक शिक्षा उपकर अधिनियम 1959 एवं बिहार स्वास्थ्य उपकर निगम अधिनियम 1972 के अनुसार शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर मदों में वसूल की गई राशि का 10 प्रतिशत वसूल शुल्क काटकर सरकारी कोष में संबंधित आय शीर्ष में प्रेषण/जमा कर देना है क्योंकि ये उपकर सरकारी राजस्व है तथा नगर पंचायत मात्र इसका वसूलकर्ता के रूप में कार्य करता है। लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गये विवरणी के अनुसार वर्ष 2013-14 व 2015-16 की अवधि में शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर मद में वसूल की गई कुल राशि 301352.00 रु थी, परंतु नगर पंचायत द्वारा इसमें से 10 प्रतिशत वसूली शुल्क काटकर शेष राशि 271217.00 रु को सरकार को प्रेषित नहीं किया गया। विवरण निम्न है:-

वर्ष	शिक्षा उपकर	स्वास्थ्य उपकर	कुल
2013-14	62704	62704	125408
2014-15	26959	26959	53918
2015-16	61013	61013	122026
		कुल	301352

कार्यालय का जवाब:- न.पं. बरबीघा की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने के कारण शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेस की राशि सरकार को प्रेषित नहीं की जा सकी। सरकार को राशि प्रेषित की जाएगी।

अतः राशि को सरकार को प्रेषित किया जाय।

कण्डिका:-07 संचार टावरों का निबंधन नहीं एवं निबंधन व नवीनीकरण शुल्कों की वसूली नहीं किये जाने के कारण राजस्व की प्राप्ति नहीं, राशि 2.50 लाख रु

बिहार सरकार द्वारा संचार मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 के नियम 6(1) के अनुसार नगर पंचायत में पंजीकरण शुल्क ₹ 30000.00 प्रति टावर एव नवीकरण शुल्क 8000.00 प्रति टावर प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है।

नियम 5 के अनुसार कोई भी ऑपरेटर जिन्होंने पूर्व में टावर का अधिष्ठापन किया हो या करना चाहता हो, रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक सूचनाओं/दस्तावेजों के साथ नगरपालिका को आवेदन देगा।

नियम 6(2) के अनुसार नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाईल टावरों के लिए उपर वर्णित पंजीकरण शुल्क टावर के स्थापित करने के समय के पूर्ण वर्षों की संख्या के आधार पर लिया जाएगा। साथ ही टावर पर लगाए गए प्रत्येक एंटीना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क अतिरिक्त रूप से देने का प्रावधान है।

नियम 6(6) पंजीकरण शुल्क आवेदन की स्वीकृति के तुरन्त बाद देय हो जायेगा। अगर पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर शुल्क प्राप्त नहीं होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।

नियम 6(7) वार्षिक नवीकरण फीस पूर्ण वर्ष के लिए अग्रिम में देय होगा अथवा आनुपातिक रूप में देय होगा अगर पंजीकरण वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत की जाती है। वार्षिक नवीकरण फीस प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को देय होगा। अगर उस वित्तीय वर्ष का वार्षिक नवीकरण शुल्क 30 अप्रैल तक नहीं प्राप्त होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।

नियम 12(1) के अनुसार कोई संचालक इस नियमावली के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो वह राशि 5000.00 तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

लेखा परीक्षा आपत्तियों:-

1. नई अधिसूचना के प्रभावी होने पर भी संबंधित ऑपरेटरों द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया था।
2. नगर पंचायत के मोबाईल टावर के संचिका व कार्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन में पाया गया कि नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत 06 मोबाईल टावर अधिष्ठापित थे, जिनमें से केवल तीन टावरों से ही राशि जमा की गई। कुल मांग राशि 5.00 लाख रु के विरुद्ध राशि 2.50 लाख रु बकाया था।

- (15)
3. संबंधित कम्पनियों को कार्यालय द्वारा प्रेषित मांग में विलंब की अवधि के लिए ब्याज की राशि की मांग नहीं की गई।
 4. नियमानुसार टावर पर लगाये गये प्रत्येक एंटीना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क अतिरिक्त रूप से देने का प्रावधान है। परंतु इस संबंध में कार्यालय में कोई प्रतिवेदन नहीं था कि एक टावर पर कितना एंटीना लगाया गया था। जिसकी जाँच अपेक्षित है व नियमानुसार मांग प्रेषित किया जाय।
 5. शुल्क नहीं देने पर ऑपरेटर के संबंधित प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई या नहीं से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।
 6. बकाया की वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई सहित कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।

कार्यालय का जवाब:— कम्पनियों को सूचना निर्गत की गई है। पुनः आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संबंधित बकायेदारों को नोटिस दिया गया है। पुनः उन्हें नोटिस देकर शीघ्र बकाया राशि देने हेतु कहा जाएगा।

अतः बकाया राशि एवं विलंब की अवधि के सूद की गणना कर नया मांग प्रेषित कर राशि की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय।

कण्डिका:—08 योजना का दोहरीकरण

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा वैसे नगर निकायो जिनमे सरकार की पूर्व की प्रशासनिक भवन निर्माण की योजना के अंतर्गत प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य आरंभ नहीं हो सका था के लिये नगर सरकार भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया एवं इसके हेतु अनुदान जिसमें से पूर्व की योजना के अंतर्गत दिये गये अनुदान की राशि को काटना था की स्वीकृति दी गयी। सरकार के पत्र से स्पष्ट है कि यह योजना उन्हीं निकायों के लिये है जहाँ प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुआ हो एवं साथ ही पूर्व में प्रशासनिक भवन मद में दिये गये अनुदान की इस मद के अंतर्गत दिये जाने वाले अनुदान में से घटाना था। यद्यपि बरबीघा नगर पंचायत में प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है तथापि नगर पंचायत में नगर सरकार भवन के निर्माण के लिए अनुदान दिया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है।

क्रमांक	स्वीकृति/आवंटन पत्रांक सं० एवं दिनांक	राशि
1	31 / 13.11.13	7547000
2	63 / 06.02.14	4733000
3	28 / 24.07.14	943396
कुल		13223396

इसके साथ ही नगर पंचायत बरबीघा को पूर्व में प्राप्त रु 2887875 एवं रु 1618875 को भी घटाया नहीं गया है।

कार्यालय का जवाब:—इस संबंध में विभाग से किसी तरह का मार्गदर्शन अभी तक नहीं मांगा गया है एवं संबंधित राशि नगर पंचायत के खता में ही पड़ी हुई है।

अतः सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त कर तदनुसार कार्रवाई की जाय।

कण्डिका:—09 योजना सं०—10/13—14 14

योजना का नाम:— मुख्य सड़क एसी० सी० हॉस्टल से असिया चक तक पथ निर्माण कार्य।

प्राक्कलित राशि — 2285163.00 रु

तकनीकी स्वीकृति— कार्यपालक अभि० दिनांक—14.01.13

प्रशासनिक स्वीकृति --16.09.13

कार्यादेश—02.11.13

एकरारनामा— 02.11.13

एकरारनामा की राशि:—2056647.00 रु

अभिकर्ता का नाम— श्री जय प्रकाश क०अ० (डूडा), मधुबनी

मापीपुस्त —2152584.00 रु

योजना पर व्यय:—2152584.00 रु

1. संचिका के जाँच में पाया गया कि संवेदक को एकरारनामा की राशि (2056647) से अधिक भुगतान 95937 (2152584— 2056647) किया गया था।
2. एकरारनामा प्रपत्र एफ—2 के संविदा के शर्तनामा के अनुसार यदि कार्य निर्धारित समय पर कलाउज 2 के अनुसार पूर्ण नहीं किया जाता है तो संवेदक से प्राक्कलित राशि का आधा प्रतिशत प्रतिदिन विलम्ब शुल्क के रूप में कटौती करना होगा जो अधिकतम प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत होगा। संचिका के अवलोकन में पाया गया कि कार्य 01.02.14 को समाप्त किया जाना था किन्तु कार्य 10.05.14 अर्थात् लगभग तीन माह विलम्ब से समाप्त हुआ। इस प्रकार अंतिम भुगतान करते समय संवेदक से उपयुक्त नियमानुसार विलंब शुल्क की राशि 228516 (प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत) नहीं काटी गयी थी। फलस्वरूप संवेदक को राशि 228516 अधिक भुगतान किया गया था।

कार्यालय का जवाब:—

1. इस योजना में बी ओ क्यू से कुछ अधिक कार्य किया गया था, जिसका अनुमोदन कार्यपालक अभियंता द्वारा किया गया था।
2. इस संबंध में जाँचकर कार्रवाई की जाएगी।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि एकरारनामा की राशि से अधिक राशि का भुगतान किया गया, अतः राशि 95937.00 रु एवं विलंब शुल्क के रूप में कटौती नहीं की गई राशि 228516.00 रु की वसूली जिम्मेवार व्यक्ति से की जाय।

कण्डिका:—10 योजना सं०—13/14—15

1149
योजना का नाम:-पुनसेरा मेन रोड से पश्चिम उतर शांतिकुज स्कूल से आदर्श नगर होते हुए शक्ति पैन तक नाला निर्माण

प्राक्कलित राशि - 1865000.00 रू

तकनीकी स्वीकृति- कार्यपालक अभि० दिनांक-02.01.14

कार्यादेश-12.11.14

एकरारनामा- 12.11.14

मापीपुस्त -176872.00 रू

अभिकर्ता को भुगतान:-1753988.00 रू

टिप्पणी

1. उक्त योजना मे एकल संविदा पर कार्य का सम्पादन संवेदक नित्यानन्द कुमार द्वारा करवाया गया था। एकल संविदा पर योजना का क्रियान्वयन कराये जाने से संवेदक की प्रतिस्पर्धा से होने वाले लाभ से नगर पंचायत कार्यालय को वंचित होना पड़ा था।
2. एकरारनामा प्रपत्र एफ-2 के संविदा के शर्तनामा के अनुसार यदि कार्य निर्धारित समय पर कलाउज 2 के अनुसार पूर्ण नहीं किया जाता है तो संवेदक से प्राक्कलित राशि का आधा प्रतिशत प्रतिदिन विलम्ब शुल्क के रूप में कटौती करना होगा जो अधिकतम प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत होगा। संचिका के अवलोकन में पाया गया कि कार्य 10.02.15 को समाप्त किया जाना था किन्तु कार्य 12.03.15 अर्थात् लगभग 29 दिन विलम्ब से समाप्त हुआ। इस प्रकार अंतिम भुगतान करते समय संवेदक से उपयुक्त नियमानुसार विलंब शुल्क की राशि 186500 (प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत) नहीं काटी गयी थी। फलस्वरूप संवेदक को राशि 186500 अधिक भुगतान किया गया था।

कार्यालय का जवाब:- इस संबंध में जाँचकर कार्रवाई की जाएगी।

जवाब मान्य नहीं है। विलंब शुल्क के रूप में कटौती नहीं की गई राशि 186500.00 रू की वसूली जिम्मेवार व्यक्ति से की जाय।

कण्डिका:-11 प्रशासनिक भवन के निर्माण के लागत में वृद्धि

राज्य सरकार द्वारा ज्ञापांक 1398, दिनांक 30.3.07 द्वारा नगर पंचायत को प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु मॉडल प्राक्कलन रू. 3850500 के आधार पर 75 प्रतिशत अनुदान अर्थात् रू. 2887875 अनुदान के रूप में दिया गया एवं शेष राशि नगर पंचायत को स्वयं के स्रोतों से वहन करनी थी। नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2007-08 में कार्य आरम्भ कर दिया गया। परंतु नगर पंचायत द्वारा रू. 2841002 की लागत से अधूरा निर्माण किया गया जिसमें द्वितीय तल का निर्माण पूरी तरह से बाकी रहा। पुनः विभाग द्वारा दिनांक 9.3.13 को रू 60.09 लाख के पुनरीक्षित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर शेष राशि के 75 प्रतिशत अनुदान के रूप में रू. 1618875 का अनुदान दिया गया। नगर पंचायत द्वारा शेष कार्य निविदा द्वारा रू. 2688192 पर आवंटित किया गया। इस प्रकार प्रशासनिक भवन के निर्माण की कुल लागत रू. 3850500 से बढ़कर

रु. 5529194 (2841002 + 2688192) हो गयी। अर्थात् इस निर्माण में रु. 1678694 (5529194- 3850500) का अधिक व्यय हुआ। बिना किसी वैध कारण एवं योजना के समय पर आरंभ होने के बावजूद मॉडल प्राक्कलन पर योजना को पूर्ण नहीं कर पाने के चलते रु. 1678694 का अधिक व्यय हुआ। सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार इस प्रकार की लागत वृद्धि की स्थिति में वृद्धि की राशि को जिम्मेवार अधिकारी/कर्मचारी से वसूली की जानी है।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि चूँकि प्रथम चरण का कार्य विभागीय स्तर पर कराया गया था एवं संबंधित अभिकर्ता को इस कार्य के अलावा अपना कार्यालय का मूल कार्य करना था। अतः योजना के कार्य में कुछ विलंब हुआ है।

जवाब मान्य नहीं है। राशि 1678694 वसूली योग्य है।

कण्डिका:-12 एकल निविदा पर योजना का क्रियान्वयन

नगर पंचायत की योजना संचिका के जॉच में पाया गया कि कई योजनाओं को एकल संविदा पर क्रियान्वयन करवाया गया था विवरणी निम्नवत है।

	योजना सं०	प्राक्कलित राशि	कुल व्यय	अंतिम मापी/तिथि	योजना की स्थिति
1	डी० पी० आर०/3/14-15	145924	144463	145922 दि० 01.09.14	पूर्ण
2	डी० पी० आर०/4/14-15	100000	90850	99101 दि० 22.08.14	पूर्ण
3	डी० पी० आर०/5/14-15	113398	112831	112831 दि० 08.08.14	पूर्ण
4	डी० पी० आर०/6/14-15	381100	356752	358726 दि० 28.08.14	पूर्ण
5	डी० पी० आर०/7/14-15	2092000	2071060	2071060 दि० 10.10.14	पूर्ण
6	डी० पी० आर०/8/14-15	536000	536249	536249 दि० 10.10.14	पूर्ण

उक्त योजना संचिकाओं के नमूना जॉच में पाया गया कि योजना क्रियान्वयन हेतु नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी से एक उच्चतर प्राधिकार के अनुमति प्राप्त नहीं किया गया था साथ ही बहु संविदा की स्थिति में प्रतिस्पर्धा से होने वाले लाभ से नगर पंचायत को वंचित रहना पड़ा था। आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि योजना का क्रियान्वयन अधीक्षण अभियंता, बुडा, पटना के निदेश के आलोक में की गई है।

भविष्य में एकल निविदा के माध्यम से कार्य सम्पादन कराने से बचा जाये एवं एकल निविदा की स्थिति में एक उच्चतर प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये।

कण्डिका:-13 विलंब शुल्क की कटौती नहीं रु. 470762

एकरारनामा प्रपत्र एफ-2 के संविदा के शर्तनामा के अनुसार यदि कार्य निर्धारित समय पर कलाउज 2 के अनुसार यदि कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण नहीं किया जाता है तो संवेदक से प्राक्कलित राशि का आधा प्रतिशत प्रतिदिन विलम्ब शुल्क के रूप में कटौती करना होगा जो अधिकतम प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत होगा। संचिका के अवलोकन में पाया गया कि तीन योजनाओं में कार्य निर्धारित समय के बाद की तिथि में समाप्त किया गया था किंतु विलम्ब शुल्क की राशि रु. 470762 की कटौती नहीं की गयी थी।

1147

कार्यालय का जवाब:— आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि इस संबंध में जाँचकर कार्रवाई की जाएगी।

जवाब मान्य नहीं है। विलंब शुल्क के रूप में कटौती नहीं की गई राशि रु. 470762 रु की वसूली जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय।

भाग- III (TAN)

टिप्पणी:— 1 ई गवर्नेस के तहत पुरुष वार्ड पार्शदों को टैबलेट/लैपटॉप/आईपैड कय हेतु प्राप्त राशि का लेखांकन नहीं, राशि 3.30 लाख रु

नगर विकास एवं आवास विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या-4334 दिनांक-22.08.15 के द्वारा नगर पंचायत के 11 पुरुष वार्ड पार्शदों को टैबलेट/लैपटॉप/आईपैड कय हेतु 3.30 लाख रु की स्वीकृति दी गई। बैंक पास बुक पंजाब नेशनल बैंक के खाता संख्या-0555000110125975 में यह राशि दिनांक 27.10.15 को नेफ्ट के माध्यम से प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय है कि इस आवंटन की प्राप्ति से पूर्व ही आंतरिक संसाधन मद से 11 पुरुष वार्ड पार्शदों को NIECS, Fraser Road, Patna से दिनांक 07.09.15 को ही लैपटॉप कय कर उपलब्ध कराया जा चुका था।

परंतु नगर पंचायत द्वारा उपर्युक्त राशि का लेखांकन अर्थात् रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं किया गया। राशि की प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं करने के कारण से लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाय। पुनः राशि की प्रतिपूर्ति आंतरिक संसाधन मद में कर लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाय। आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि उक्त राशि को शीघ्र ही नगर पंचायत के रोकड़बही में दर्ज कर आंतरिक संसाधन में अंतरण कर दिया जाएगा।

टिप्पणी:— 2 रोकड़ बही में रु. 84642 का इंद्राज नहीं

नगर पंचायत बरबीघा द्वारा उपलब्ध कराए गए रोकड़ बही तथा बैंक पासबुक के जाँच के दौरान पाया गया कि सामान्य रोकड़ बही के बैंक खाता सं. 0555000100067531 पंजाब नेशनल बैंक से चेक सं. 163979, दिनांक 30.1.16 द्वारा रु. 84642 श्री विपिन कुमार को जमानत वापसी राशि दिया गया। जिसका रोकड़ बही में इंद्राज नहीं पाया गया।

कार्यालय का जवाब:— आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि उपरोक्त राशि का रोकड़बही के व्यय पक्ष में इंद्राज कर दिया जाएगा।

—हस्ता—
आलोक कुमार
स0ले0प0अ0
—अनुमोदित—
उप महालेखाकार (SS-I)
—सह—
स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार